राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 19(3299) परि/लेखा/आ.जां./2016–17/ 9816 दिनांक : 23-5-2016

कार्यालय आदेश संख्या 21/2016

जन लेखा समिति वर्ष 2014–15 के 10वें एवं 11वें प्रतिवेदन की सिफारिश सं. 6 एवं 2 के अर्न्तगत आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के उतरोत्तर बढोतरी एवं आक्षेपों का निस्तारण नहीं होने को समिति की गत बैठक दित्र 27.08.2015 में गंभीरता से लिया गया। साक्ष्य के दौरान विभाग ने आगामी 6 माहो में वर्ष 2009–10 तक के समस्त लम्बित अनुच्छेद निस्तारित करने का आश्वासन दिया है।

अतः आश्वासन के अनुरूप समिति की उक्त सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति एवं वर्ष 2009–10 तक के लम्बित समस्त अनुच्छेदों का आवश्यक रूप से एवं शेष का अधिकाधिक निस्तारण हेतु समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी विशेष अभियान चलाकर ठोस अनुपालना तैयार करेगे। अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित सहा. लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि निम्न निर्देशों के तहत वर्ष 2009–10 तक के लम्बित अनुच्छेदों की पालना आवश्यक रूप से तैयार कर कैम्प में प्रस्तुत करेगे। निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते है–

1. जिन अनुच्छेदों में 75 प्रतिशत से कम वसूली हुई है में शेष आक्षेपित वाहन एवं राशि की अनुच्छेद की प्रकृतिवार सूची तैयार कर (यथा भारवाहन, स्टेज केरिज, संविदा वाहन आदि) इन्हें वर्ष 2016–17 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग 1(ब) में सम्मिलित करने हेतु विस्तृत सूची तैयार कर आंतरिक जांच दल को प्रस्तुत करेगे।
2. लम्बित अनुच्छेदों में से जिन अनुच्छेदों में 75 प्रतिशत से अधिक वसूली हो गई है, उनकी अनुपालना तैयार कर शेष वसूली कार्यालय पर छोडने हेतु पैरा निस्तारण की पालना प्रस्तुत करे।
3. वसूली के अतिरिक्त अन्य अनुच्छेदों के औचित्य के आधार पर पालना तैयार कर निस्तारण हेतु प्रस्तुत करेगे।

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा तैयार की गई अनुपालना की समीक्षा/सत्यापन हेतु विभागीय जांच दल प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में उपस्थित होकर आक्षेप निस्तारण हेतु अपनी अभिशंषा करेगे। मुख्यालय के लेखाधिकारी, उपवित्तीय सलाहकार कैम्प का पर्यवेक्षण कर जांच दल द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा के तहत पैरा निस्तारण करेगे।

(एस.के.अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प. 19(3299) परि/लेखा/आं.जांच./2016–17/ 9817-22 दिनांक : 23/5/16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
2. महालेखाकार राज. जयपुर
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
4. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी..
5. लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय)..
6. कार्यालय पत्रावली
7. सिस्टम एनालिस्ट - संजय सिंघल जी (वेबसाइट पर डालने हेतु)

वित्तीय सलाहकार
परिवहन विभाग राजस्थान
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त